

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 892 सन 2020

अनवान :-

1. शिव कुमार पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. संतलाल पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
2. रामकुमार पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
3. कृष्ण कुमार पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
4. विक्रम पुत्र भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
5. प्रियंका पुत्री भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
6. सुनीता पुत्री भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
7. शर्मिला पुत्री भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
8. शारदा पुत्री मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
9. पवन कुमार पुत्र स्व नथिया पुत्री मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
10. सुभाष पुत्र स्व नथिया पुत्री मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/01/2021


सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा विरकाली बाराणी के खाता संख्या 380/324 की कुल 2.5170 हेक् भूमि मृतक मामराज के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पिता मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज भूमि के वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 एवं मृतक पुत्री नथिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ,10 एवं मृतक पुत्र भोजराज के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है अर्थात मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 वादी की बहने है एवं मृतक मामराज की पुत्री एवं मामराज की मृतक पुत्री नथिया एवं मृतक पुत्र भोजराज की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 380/324 की कुल 2.5170 हैक भूमि मृतक मामराज के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के पिता मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज भूमि के वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 एवं मृतक पुत्री नथिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ,10 एवं मृतक पुत्र भोजराज के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है अर्थात मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है।


प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 वादी की बहने है एवं मृतक मामराज की पुत्री एवं मामराज की मृतक पुत्री नथिया एवं मृतक पुत्र भोजराज की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 380/324 की कुल 2.5170 हैक भूमि मृतक मामराज के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज भूमि के वारिस उसके पुत्र/पुत्रीया वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 एवं मृतक पुत्री नथिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ,10 एवं मृतक पुत्र


उपस्थित अधिकारी
नोहर

भोजराज के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है अर्थात मामराज पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि पाने के अधिकारी है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बरानी के खाता संख्या 380/324 की कुल 2.5170 हैक् भूमि मृतक मामराज के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 बहिव 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. शिव कुमार पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. संतलाल पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
2. रामकुमार पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
3. कृष्ण कुमार पुत्र मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
4. विक्रम पुत्र भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
5. प्रियंका पुत्री भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
6. सुनीता पुत्री भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
7. शर्मिला पुत्री भोजराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
8. शारदा पुत्री मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
9. पवन कुमार पुत्र स्व नथिया पुत्री मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
10. सुभाष पुत्र स्व नथिया पुत्री मामराज जाति खाती निवासी रूपाणा तहसील नाथुसरी चौपटा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 892 सन 2020 निर्णय दिनांक- 07/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 380/324 की कुल 2.5170 हैक् भूमि मृतक मामराज के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 6/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)